यमुना और गोमती के किनारे बसे चुनिंदा कस्बों की जल प्रदूषण के उपशमन के लिये शिनाख्त की गई है । गंगा कार्य योजना (चरण–2) की उत्तर प्रदेश में जिन ग्यारह नगरों को शामिल किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, (हिन्डन नदी पर), नौयडा, वृन्दावन, मथुरा, आगरा एवं इटावा (यमुना नदी पर) लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर (गोमती नदी पर) ।

3. राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है ।

4. कानपुर और लखनऊ नगरों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण संबंधी प्रमुख सर्वेक्षण किये गए हैं ।

5. उद्योगों के स्थान निर्धारण और संचालन के लिये पर्यावरण दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं ।

6. उद्योगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और अपने बहिस्रावों/उत्सर्जनों को निर्धारित मानकों के अनुसार शोधित करने के निदेश दिये गये हैं ।

7. वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत पेट्रोल और डीजल चलित दोनों प्रकार के वाहनों के लिये उत्सर्जन मापदंड अधिसूचित कर दिये गये हैं और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा इनको कार्यान्वित किया जा रहा है ।

8. केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, के तहत सितम्बर, 1993 में वाहनों के उत्सर्जनों के लिये अधिक सख्त मानदंड अधिसूचित किये गये हैं जो अप्रैल, 1996 से लागू होंगे ।

9. प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिये विभिन्न उपायों के संबंध में जनजागरूकता अभियान चलाये गये हैं ।

10. विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत बड़े उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । छोटे उद्योगों के समूहों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिये भी सरकारी इमदाद और उदार ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं ।

"पशुओं हेतु पारगमन पास"

2773. **श्री शिवचरण सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर जिलों से होकर जाने हेतु इस वर्ष कितनी भेड़ों, ऊंटों या अन्य जानवरों के लिये पारगमन पास (ट्रांजिट पास) जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त पारगमन पास (ट्रांजिट पास) केवल वन क्षेत्रों में से होकर जाने हेतु जारी किये जाते है, न कि उन क्षेत्रों में बसने हेतु ; और

(ग) क्या यह सच है कि वन विभाग के अधिकारी कुछ रिश्वत लेकर इन जानवरों को पूरे वर्ष इन जिलों में रखने देते हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले को मौके पर जांच कराएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन क्षेत्रों मे होकर भेड़, ऊंट अथवा अन्य पशुओं को ले जाने के लिये पारगमन पास जारी करने की भारतीय वन अधिनियम के तहत कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।